तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 57/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/105) बअनवान पुसाराम व अन्य बनाम दयाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

पुसाराम व अन्य

बनाम

दयाराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री ओमप्रकाश डारा, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मोहम्मद साबिर, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

<u>आदेश</u>

दिनांक 08 अप्रैल 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2022 अनवान दयाराम बनाम पुसाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 फरवरी 2023 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 02 मार्च 2023 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजीयात के खातेदारों द्वारा दिनांक 23.04.2010 को वादग्रस्त आराजी का माप-चौक कर आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लिया हैं तथा सभी पक्षकार उक्त बंटवाड़े अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर मकानात बना दिये है तथा अपनी भूमि के चारों ओर तारबंदी व दिवार बनाकर अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई

	निषेधाज्ञा प्राप्त की है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त सभी तथ्यों को अपने जवाब में रखा, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना आलौच्य आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से अपीलांट्स का मकान निर्माण कार्य रूक गया है। इस कारण अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ रहा है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 फरवरी 2023 को निरस्त किया जावे एवं अपीलांट्स को अपने हक-हिस्से की भूमि में मकान निर्माण की छूट प्रदान की जावे। जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते उभय पक्ष की सहमति से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध आपसी सहमति बंटवाड़ा दिनांक 23.04.2010 के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1224/1 रकबा 4.17 बीघा, खसरा नंबर 1230/1 रकबा 5.15 बीघा में प्रत्येक पक्षकार के हिस्से में रखी गई	

	भूमि की भुजाए स्पष्ट करते हुए तथा पड़ौस दर्शाते हुए विभाजन किया जाना पाया जाता है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में यह स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक से नौ अपनी-अपनी सहूलियत अनुसार अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में रेकर्डेड सहखातेदार को अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग-उपभोग एवं अपने हिस्से की भूमि में मकान निर्माण कार्य करने से रोका जाना न्यायसंगत नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त बंटवाड़ा के तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। न्याय हित में अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स को अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में मकान निर्माण की छूट प्रदान किया जाना उचित समझते है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 फरवरी 2023 में अपीलांट्स को अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में मकान निर्माण की छूट प्रदान की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेगा। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	